प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं 220/2018

1 – बट्टे सिंह @बतेरम (मृत) ; द्वारा विधिक प्रतिनिधि

ए.–प्रेम सिंह पिता स्वर्गीय श्री बट्टे सिंह @बतराम , 53 वर्ष, निवासी इमलीपारा, कांनिवासीर, जिला, उत्तरी बस्तर, कांनिवासीर छत्तीसगढ़।

बी.–रामचरण पिता स्वर्गीय श्री बट्टे सिंह @बतेरम, 50 वर्ष

सी–श्रवण पिता स्वर्गीय श्री बट्टे सिंह @बतेरम, 47 वर्ष

डी–नंदलाल पिता स्वर्गीय श्री बट्टे सिंह @बतेरम, 44 वर्ष

ई–दिनेश पिता स्वर्गीय श्री बट्टे सिंह @बतेरम, 41 वर्ष

बी से ई समस्त गाँव उम्की, पोस्ट अमोदी, पी. एस. तथा तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांनिवासीर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- अपीलकर्तागण

बनाम

1 – सत्तो बाई पति रामलाल नेताम 52 वर्ष, गोदरीपारा, अंतागढ़, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

2 – ललिता पिता निर्मल दुग्गा 30 वर्ष निवासी गोदरीपारा, अंतागढ़, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर, छत्तीसगढ़

3 – छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा , जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

अपीलार्थियों हेतु :––श्री डी. एन. प्रजापति, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं.3/राज्य:––श्री किशन साहू, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू ,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

22/09/2025

1. यह द्वितीय अपील सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत अपीलकर्ताओं/वादियों द्वारा दिनांक 06.12.2016 को सिविल अपील संख्या 3–ए/2012 में पारित निर्णय और डिक्री की वैधता और स्थिरता पर प्रश्न उठाते हुए दायर की गई है, जिसके तहत, माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भानुप्रतापुर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (सी.जी.) ने अपीलकर्ताओं/वादियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, और दिनांक 11.11.2011 को सिविल वाद संख्या 25–ए/2011 में दिए गए निर्णय और डिक्री की पुष्टि की, जिसमें माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, भानुप्रतापुर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (सी.जी.) ने अपीलकर्ताओं/वादियों के वाद को खारिज कर दिया था।

2. इस अपील के निराकरण के लिए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मूल वादी बत्ते सिंह ने एक दीवानी वाद दायर किया था जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि उन्हें वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी घोषित किया जाए और साथ ही यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादियों के नाम का नामान्तरण शून्य और अमान्य घोषित किया जाए। वादी ने यह तर्क दिया था कि 4.60 हेक्टेयर भूमि, जो इराबोडी गांव, अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में स्थित है, उनके पिता इंदेल सिंह गोंड के नाम पर दर्ज थी, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी। प्रतिवादियों ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।यह भी निवेदन किया गया है कि इंदेल गोंड और रजनी गोंड के विवाह से वादी एकमात्र पुत्र है और गोंड समुदाय में इस क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार, पैतृक संपत्ति में केवल पुत्रों का ही अधिकार होता है।यह भी निवेदन किया गया है कि वादी की जानकारी के बिना अपने नाम पर भूमि का नाम दर्ज कराने के बाद, प्रतिवादी 2006 से विवाद खड़ा कर रहे हैं। वादी वाद दिनांक तक भी विवादित संपत्ति पर कब्जा बनाए हुए है।यह भी तर्क दिया गया है कि विवाहित पत्नी का ही अपने पति की संपत्ति पर अधिकार है।पहली पत्नी से जन्मे पुत्र के जीवनकाल में दूसरी पत्नी या उनके बच्चों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता।

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वादपत्र के जवाब में लिखित बयान दाखिल कर उसमें किए गए दावों का खंडन किया है।यह तर्क दिया गया है कि इंदेल गोंड वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पिता थे। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, इंदेल गोंड के पास 44.10 एकड़ भूमि थी।उपरोक्त पैतृक संपत्ति में से, वादी ने 2 जुलाई 1984 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा सन्नू गोंड के पुत्र रायसिंह को 10.94 एकड़ भूमि बेच दी। शेष 33.16 एकड़ भूमि का विभाजन 13 जून 1988 को वादी, सोमनाथ (वादी के चाचा का पुत्र) और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की माता जुगोतिन बाई के बीच किया गया।उक्त विभाजन में, वादी और सोमनाथ (वादी के चाचा का पुत्र) को 20.89 एकड़ भूमि मिली और प्रतिवादी संख्या 1 की माता को 12.27 एकड़ भूमि मिली।विभाजन के बाद, सोमनाथ (वादी के चाचा का पुत्र) ने अपनी 6.44 एकड़ भूमि मेहरू, निवासी हिर्राबोडी के पक्ष में बेच दी और राजस्व अभिलेखों से अपना नाम हटवा दिया।14.75 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम पर दर्ज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है, जिस पर वादी आज तक का कब्जा बनाए हुए है।विभाजन के समय, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जुगोतिन बाई के साथ, उनके जीवनकाल से ही, राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वादित संपत्ति पर कब्जे में हैं।वादी का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।यह भी निवेदन किया गया है कि वर्ष 1981 में इंदेल गोंड की मृत्यु के बाद, वादी और प्रतिवादी संख्या 1 की माता जुगोतिन बाई का नाम राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया था।यह भी निवेदन किया गया है कि गोंड समुदाय की परंपराओं के अनुसार, चूड़ी पत्नी का भी अपने पति की संपत्ति में समान अधिकार होता है। जुगोतिन बाई इंदेल गोंड की चूड़ी पत्नी थीं और जुगोतिन बाई को विभाजन में प्राप्त संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का नाम विधिवत दर्ज किया गया था।नामान्तरण को वादी द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए यह उस पर बाध्यकारी है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर विचार के लिए आठ विवाद्यक तैयार किए, जिनमें यह विवाद्यक भी शामिल था कि "क्या मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था?".

5. विचारण की समाप्ति के बाद और संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि गोंड समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार केवल विवाहित पत्नी का पुत्र ही अपने पिता की संपत्ति का हकदार होता है।न्यायालय ने आगे पाया कि वादी यह साबित नहीं कर सका कि चूड़ी प्रथा के तहत पति की संपत्ति में पत्नी का कोई समान अधिकार नहीं है।न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा कि गोंड समुदाय की प्रथा के अनुसार, पुत्री अपने भाई के जीवित रहते पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करती।माननीय विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि उत्परिवर्तन का आदेश उसकी जानकारी के बिना पारित किया गया था।अंत में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वाद सीमितता से वर्जित था

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत दायर अपील में चुनौती दी गई थी।अपीलीय न्यायालय ने पाया कि वादी को तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.06.1988 को जारी किया गया नामान्तरण आदेश की जानकारी थी।विभाजन की तिथि से ही वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 विभाजन में प्राप्त भूमि पर अलग–अलग कृषि कार्य कर रहे हैं।इसमें आगे यह भी दर्ज किया गया कि वादी की जानकारी के बिना राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के नाम में परिवर्तन करने का दावा निराधार और सारहीन पाया गया और विवादित निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि दोनों विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश विकृत, त्रुटिपूर्ण और विधि के विरुद्ध हैं।दोनों न्यायालय यह समझने में विफल रहीं कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 दोनों अपने रीति–रिवाजों से शासित हैं और गोंड समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार, पुत्री अपने पिता की संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति पाने की हकदार हैं, इसलिए इस संबंध में दोनों निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं।इंदेल गोंड की दूसरी पत्नी और वादी की सौतेली माँ जुगोतिन बाई ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में कोई वसीयत नहीं बनाई है, इसलिए जुगोतिन बाई की मृत्यु के बाद भी वह विवादित भूमि की हकदार नहीं हैं। वादी ने तर्क दिया कि यदि वादी के पिता इंदेल गोंड की दूसरी पत्नी जुगोतिन बाई को कुछ संपत्ति दी भी गई थी, तो भी उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1, जो जुगोतिन बाई की पुत्री हैं, अपने पिता की संपत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार नहीं हैं।माननीय विचारण न्यायालय ने वादी के इस विशिष्ट तर्क पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के नाम का पंजीकरण या दिनांक 13.06.1988 का पंजीकरण आदेश वादी की जानकारी के बिना हुआ था, इसलिए यह वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

8. मैंने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और विचारण न्यायालय के साथ–साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9. वाद के अवलोकन से पता चलेगा कि वाद पत्र ने वाद दी है कि प्रतिवाद पत्र ने वर्ष 2006 में वाद भूमि पर विवाद शुरू किया था।उन्होंने यह भी कहा कि वादियों को नामांतरण की जानकारी 11.09.2006 को मिली, जबकि उत्परिवर्तन आदेश की तिथि 13.06.1988 है।वादी की परीक्षा (पी डब्लू.–1) के रूप में की जाती है। अपने साक्ष्य (प्रतिपरीक्षा के दौरान) के कंडिका 10 में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इंदेल गोंड की मृत्यु के बाद, वादी, जोगोतिन बाई और सोमनाथ का नाम 1983 में राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था।उन्होंने अंतागढ़ तहसील न्यायालय में वादी और जोगोतिन बाई के बीच हुए विभाजन से भी इनकार किया, हालांकि कंडिका 11 में उन्होंने स्वीकार किया कि सोमनाथ ने अपने हिस्से की लगभग 6 एकड़ भूमि राम प्रसाद के पुत्र मेहतारु के पक्ष में बेच दी थी।उन्होंने कंडिका 11 में स्वीकार किया कि जुगोतिन बाई ने 15–20 वर्ष पहले राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराया था।कंडिका 13 में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उनका झगड़ा लगभग 6–7 वर्ष पहले हुआ था।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि जुगोतिन का नाम 25 वर्ष पहले और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम लगभग 20 साल पहले दर्ज कराया गया था। उन्होंने वादी और प्रतिवादी संख्या 1, सतो बाई के बीच भाई–बहन के रिश्ते को स्वीकार किया।वादी ने सुखदेव की परीक्षा (पी डब्लू.–2) के रूप में की।अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 5 में इस गवाह ने स्वीकार किया कि इंदेल गोंड की दो पत्नियाँ थीं।रजनी बड़ी पत्नी थीं और जुगोतिन बाई, प्रतिवादी संख्या 1 की माता, छोटी पत्नी थीं, जिन्हें चूड़ी पत्नी के रूप में लाया गया था।उन्होंने प्रतिपरीक्षा के कंडिका 6 में यह भी स्वीकार किया कि इंदेल की मृत्यु के बाद, उनकी सभी संपत्ति में वादी, जुगोतिन और सोमनाथ का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 12–13 वर्ष पहले, वादी ने सन्नू गोंड के पुत्र रायसिंह को पाँच एकड़ भूमि बेच दी थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लगभग 20 वर्ष पहले तहसील न्यायालय में वादी और जुगोतिन बाई के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ था।उन्होंने आगे कहा कि बंटवारे के दिन वादी उपस्थित नहीं था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे और ग्राम पटेल, वादी और जुगोतिन बाई के बीच हुए पूर्व विभाजन में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि विभाजन के दिन वादी उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई थी, और उसके बाद भी तहसीलदार ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वादी और जुगोतिन बाई के बीच संपत्ति का विभाजन कर दिया था।यह भी कहा गया है कि बंटवारे के समय, वादी और उसके चचेरे भाई सोमनाथ की संयुक्त रूप से ज़मीन थी, जिसमें से वादी के चचेरे भाई सोमनाथ ने अपने हिस्से की लगभग 5 एकड़ ज़मीन बेच दी।शेष 14.15 एकड़ ज़मीन वादी के नाम पर दर्ज है। 10 से 12 एकड़ ज़मीन जुगोतिन बाई के नाम पर दर्ज थी, और उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी गई।इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की ज़मीन पर अलग–अलग कब्ज़ा रखते हैं और उस पर खेती करते हैं।

10. बैसाखु राम (पी डब्लू –3) के रूप में परीक्षा की गई।उन्होंने तहसील न्यायालय में भूमि विभाजन के संबंध में सुखदेव (पी डब्लू 2) के साक्ष्य के अनुसार भी साक्ष्य प्रस्तुत किया।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विभाजन की कार्यवाही तहसील अंतागढ़ में और उप–मंडल अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापुर के समक्ष पक्षों के बीच हुई थी। वह आगे जुगोतिन बाई के हिस्से की जमीन पर सत्तो बाई के कब्जे के बारे में अपनी अनभिज्ञता दर्शाता है।

11. प्रतिवादियों ने वादी, बत्ते सिंह और सोमनाथ द्वारा रायसिंह के पक्ष में निष्पादित 10.94 एकड़ भूमि की विक्रय विलेख (एक्स. डी–1) और इंदेल गोंड के नाम पर बी–1 किस्तबंदी खतौनी (एक्स. डी–2) प्रस्तुत की है। एक्स. डी–3 राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी आदेश है जिसमें इंदेल गोंड के नाम पर दर्ज संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में वादी, जुगोतिन (इंदेल गोंड की चूड़ी पत्नी और वादी की सौतेली माँ, साथ ही वादी के चचेरे भाई सोमनाथ) का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।तहसीलदार, अंतागढ़ द्वारा दिनांक 13.06.1988 को धारा 178 के तहत फर्द बतवारा के आधार पर किए गए विभाजन का आदेश (एक्स. डी–4) प्रस्तुत किया गया है।आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सुखदेव, मंगलू पटेल और जुगोतिन बाई से परीक्षा की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। दिनांक 13.06.1988 के विभाजन आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, हालांकि यह सक्षम प्राधिकारी अर्थात् तहसीलदार द्वारा भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। फर्द बटवारा और मानचित्र की प्रति प्रदर्श डी–5 के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 जुगोतिन बाई और सत्तो बाई का नाम दिनांक 28.07.1988 के आदेश के अनुसार 4.96 एकड़ भूमि पर अभिलेखों में दर्ज किया गया था।वादी का नाम सोमनाथ के साथ 8.27 हेक्टेयर भूमि पर प्रदर्श डी–10 के माध्यम से दर्ज किया गया था।वादी और सोमनाथ के नाम पर दर्ज संयुक्त संपत्ति में से उन्होंने लगभग पांच एकड़ भूमि बेच दी है, जिस पर वादी का कोई विवाद नहीं है।

12. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि वादी को तहसीलदार के आदेशानुसार भूमि के विभाजन की जानकारी थी, जो भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत दायर आवेदन पर आधारित था। इस आदेश पर वादी के गवाहों ने भी आपत्ति जताई है, हालांकि उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी।विभाजन की जानकारी होने के बावजूद वादी ने न तो उच्च राजस्व अधिकारियों के समक्ष इसे चुनौती दी है और न ही विभाजन आदेश को अमान्य या त्रुटिपूर्ण घोषित करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई वाद दायर किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिसीमा अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, घोषणा प्राप्त करने के लिए वाद दायर करने की समय सीमा उस तिथि से तीन वर्ष निर्धारित है जब पहली बार मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वाद दायर करने का अधिकार तब प्राप्त हुआ जब वादी को तहसीलदार द्वारा विभाजन आदेश की जानकारी मिली और वादी के साक्ष्य के अनुसार लगभग 6–7 वर्ष पहले, जब प्रतिवादी संख्या 1 ने विवाद और झगड़ा शुरू किया था।

14. अभिलेख में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों के तहत, यह स्पष्ट है कि वादी और प्रतिवादियों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर वाद तीन वर्ष बाद और तहसीलदार द्वारा भूमि राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत विभाजन का आदेश पारित किए जाने के 19 वर्ष से अधिक समय बाद दायर किया गया था।उपरोक्त के तहत, इस न्यायालय की राय में, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा और तहसीलदार के आदेश को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए दायर किया गया वाद परिसीमा से बाधित है।

15. इसके अलावा, वादी की ओर से कथन देने वाले सुखदेव (पी डब्लू 2) ने स्वीकार किया कि दोनों पक्ष, अर्थात् वादी और प्रतिवादी संख्या 1, विभाजन के आधार पर वाद संपत्ति पर कब्जे में हैं, हालांकि, वादी ने कब्जे से संबंधित कोई अनुतोष की मांग नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वसंत (मृत) के मामले में,**विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम राजलक्ष्मी उर्फ राजाराम (मृत) के मामले में, कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, (2024) 5 एससीसी 282 में रिपोर्ट किए गए मामले में**,विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के परंतुक के आलोक में आगे की राहत की मांग के बारे में चर्चा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि: ––

"49. अब हम इस विवाद्यक पर विधि की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार, विनय कृष्णा बनाम केशव चंद्र [विनय कृष्णा बनाम केशव चंद्र, 1993 अनुपूरक (3) एससीसी 129] (दो–न्यायाधीशों की पीठ) में, इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 की धारा 42 को एसआरए, 1963 की धारा 34 के समान मानते हुए यह टिप्पणी की कि उस मामले में वादी के पास संपत्ति का कब्जा न होने के कारण, प्रावधान द्वारा शामिल निषेध को देखते हुए, कब्जे की वसूली की अनुतोष के लिए वादपत्र में संशोधन किया जाना चाहिए था।

50. इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन (दो–न्यायाधीशों की पीठ) में इस स्थिति का पालन किया है, जिसमें परिणामी अनुतोष के बिना दायर किए गए मुकदमे की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।यह देखा गया:(एससीसी पृष्ठ 173, कंडिका 55–58)

"55. यह खंड यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों को स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है, हालांकि, यह एक अपवाद निर्धारित करता है कि न्यायालय ऐसी कोई भी स्थिति या अधिकार की घोषणा

नहीं करेगा जहां शिकायतकर्ता, केवल स्वामित्व की घोषणा से आगे की राहत प्राप्त करने में सक्षम होने के बावजूद, ऐसा करने में चूक करता है।

56. राम सरन बनाम गंगा देवी [राम सरन बनाम गंगा देवी, (1973) 2 एससीसी 60] मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाला वाद, जिसमें कब्जे की मांग नहीं की गई है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के परंतुक के अंतर्गत आता है और इसलिए विचारणीय नहीं है।विनय कृष्ण बनाम केशवचंद्र [विनय कृष्ण बनाम केशव चंद्र, 1993 सप्लीमेंट (3) एससीसी 129] मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह के एक मामले पर विचार किया था, जिसमें वादी संपत्ति पर अनन्य कब्जे में नहीं था और उसने स्वामित्व की घोषणा की मांग करते हुए वाद दायर किया था।इसी तरह का मत दोहराते हुए यह कहा गया है कि यदि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के परंतुक द्वारा वाद वर्जित है, तो वह विचारणीय नहीं है। (देखें ज्ञान कौर बनाम रघुबीर सिंह [ज्ञान कौर बनाम रघुबीर सिंह,(2011) 4 एससीसी 567 :(2011) 2 एससीसी (सिविल) 366]।)

57. उपरोक्त के आलोक में, यह विधि स्पष्ट हो जाता है कि परिणामी राहत मांगे बिना घोषणा की अनुतोष का दावा करना अनुमेय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

58. वर्तमान प्रकरण में, स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद दायर किया गया था, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी 1–वादी वाद संपत्ति पर कब्जे में नहीं था।इस प्रकार, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के तहत वाद वर्जित था और इसलिए, केवल इसी आधार पर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया, लेकिन अज्ञात कारणों से इस पर निर्णय लेना उचित नहीं समझा।"

51. **वेंकटराजा बनाम विद्याने दुराराजपेरुमल [वेंकटराजा बनाम विद्याने दुराराजपेरुमल, (2014) 14 एससीसी 502 :(2015) 1 एससीसी (सिविल) 360]** (दो–न्यायाधीशों की पीठ) के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट किया था।यह पाया गया कि परंतुक को शामिल करने का उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता को रोकना है।आगे यह स्पष्ट किया गया कि मात्र घोषणात्मक आदेश अधिकांश मामलों में निष्पादन योग्य नहीं रहता है।इस न्यायालय ने पाया कि वाद में बाद में भी परिणामी राहत प्राप्त करने के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया था, इसलिए इसे विचारणीय नहीं माना गया था।हाल ही में अक्कम्मा बनाम वेमावती [अक्कम्मा बनाम वेमावती, (2021) 18 एससीसी 371] (दो–न्यायाधीशों की पीठ) मामले में विधि की इस स्थिति को दोहराया गया है।

17. वादी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि जुगोतिन बाई का नाम लगभग 15–20 वर्ष पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था (कंडिका–11 में)।कंडिका 12 में उन्होंने स्वीकार किया कि 30.11.2002 को एस.डी.ओ. द्वारा जारी बंदोबस्त (बंदोबस्ती) प्रविष्टि को सुधारने के लिए कलेक्टर के समक्ष उनके द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी।उन्हें वादी और प्रतिवादी के अलग–अलग भूमि खातों की जानकारी नहीं है।सुखदेव (पी डब्लू –2) ने

कंडिका 6 में स्वीकार किया कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 अपनी–अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं और उस पर उनका कब्जा है।बैसाखु राम (पी डब्लू –3) ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि वादी विवादित भूमि सहित सभी भूमियों पर खेती कर रहा है।

18. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वादी जुगोतिन बाई के नाम पर दर्ज भूमि पर कब्जे में नहीं है। हालांकि, उसने वाद संपत्ति पर कब्जे की मांग नहीं की है।वादी ने स्वामित्व की घोषणा के साथ–साथ कब्जे की और अनुतोष की मांग नहीं की है।उन्होंने स्वामित्व की घोषणा से सीधे तौर पर मिलने वाली किसी अन्य अनुतोष की मांग नहीं की है।

19. अपीलकर्ताओं/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क और आधारों के संबंध में कि क्षेत्र के गोंड समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार, पुत्र के जीवनकाल में पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, यह सिद्ध नहीं हुआ है।वादी द्वारा प्रथा का अनुरोध किया जाता है, इसलिए प्रथा को साबित करने का भार वादी पर है, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहा है।वादी के कथनों और मौखिक साक्ष्यों के अलावा, उसके द्वारा कोई अन्य स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।वादी की ओर से परीक्षा देने वाले सुखदेव (पी.डब्ल्यू.–2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह गोंड समुदाय से संबंध रखता है और प्रचलित प्रथा का पालन करता है। उसने स्वीकार किया कि गोंड समुदाय में चूड़ी विवाह प्रचलित है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि गोंड समुदाय के पुरुष सदस्यों की एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो उन सभी को अपने पति की संपत्ति पर समान अधिकार है और उनके वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न बच्चों को भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार है।वादी ने कोई लिखित प्रथा प्रस्तुत नहीं की है।वादी ने समुदाय के किसी भी वरिष्ठ सदस्य की परीक्षा भी नहीं की है।प्रथा के प्रमाण पर **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामचरण और अन्य बनाम सुखराम और अन्य के मामले में विचार किया, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1465 में प्रकाशित हुआ था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः ––**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"19. न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालयों को उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस अन्यथा अस्पष्ट सिद्धांत को प्रासंगिक रूप से लागू करना चाहिए। वर्तमान मामले में, यदि निचली अदालत के विचार को बरकरार रखा जाता है, तो किसी महिला या उसके उत्तराधिकारियों को रीति–रिवाज में इस प्रकार की विरासत के सकारात्मक दावे के अभाव के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।हालांकि, विधि की तरह रीति–रिवाज भी समय के साथ स्थिर नहीं रह सकते और दूसरों को रीति–रिवाजों की आड़ में दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

20. इस सामान्य सिद्धांत के अनुप्रयोग के अलावा, हम इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का प्रश्न भी पाते हैं।केवल पुरुषों को ही पूर्वजों की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार देना और महिलाओं को नहीं देना तर्कसंगत या उचित वर्गीकरण नहीं दिखता है, विशेषकर तब जब विधि के अनुसार इस संबंध में कोई निषेध प्रचलित न हो।अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर

किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा।यह, अनुच्छेद 38 और 46 के साथ मिलकर, महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के संविधान के सामूहिक लोकाचार को दर्शाता है।

* * *

26. अनुच्छेद 14 के तहत समानता पर यह चर्चा, जिसमें लैंगिक समानता का पहलू भी शामिल है, हमारे विचार में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से हिंदू कानून के तहत उठाए गए पहले और सबसे सराहनीय कदम का उल्लेख किए बिना अधूरी होगी, जिसने बेटियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक बनाया था।विधेयक में बताए गए उद्देश्य और कारण सामान्य रूप से शिक्षाप्रद हैं और हम उन्हें लाभ के साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं:

"विधि द्वारा पुत्री को सहदायिक स्वामित्व में भाग लेने से वंचित करना न केवल लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त उसके मौलिक अधिकार, समानता के हनन और दमन का कारण भी बनता है।महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने हिंदू मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान करने वाले कानून में आवश्यक परिवर्तन किए हैं।"केरल विधानमंडल ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 पारित किया है..."(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

* * *

28. यह मानते हुए कि अपीलकर्ता–वादीगण द्वारा महिला उत्तराधिकार की ऐसी कोई प्रथा स्थापित नहीं की जा सकी, फिर भी यह भी उतना ही सच है कि इसके विपरीत कोई प्रथा भी न तो थोड़ी सी भी सिद्ध की जा सकी, और न ही साबित की जा सकी ।ऐसे में, जब प्रथा इस बारे में मौन है, तो धैया को उसके पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा देने से इनकार करना, उसके भाइयों के सापेक्ष या उसके कानूनी वारिसों के अपने चचेरे भाई–बहनों के सापेक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सरस्वती अम्माल बनाम जगदंबल और अन्य के मामले में, जो ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 201** में प्रकाशित हुआ है, परिवार में प्रथा को स्थापित करने के लिए सिद्ध किए जाने वाले तत्वों के संबंध में कानून की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

"28. किसी मामले में जहां कोई पक्ष किसी प्रथा को साबित करना चाहता है, वहां सही दृष्टिकोण वही है जो प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने अब्दुल हुसैन खान बनाम सोना डेरो मामले में बताया था। [अब्दुल हुसैन खान बनाम सोना डेरो, (1917–18) 45 आईए 10 :आईएलआर (1918) 45 कलकत्ता 450 (पीसी) :1917 एससीसी ऑनलाइन पीसी 68]वहाँ कहा गया था कि किसी प्रथा को स्थापित करने वाले पक्ष का यह दायित्व है कि वह उस प्रथा का आरोप लगाए और उसे सिद्ध करे जिस पर वह निर्भर करता है, और किसी भी प्रथा का सिद्धांत या अन्य प्रथाओं से निकाले गए निष्कर्ष निर्णय का नियम नहीं हो सकते, बल्कि केवल संबंधित

पक्षों पर लागू होने वाली कोई भी प्रथा ही किसी विशेष मामले में निर्णय का नियम हो सकती है। यह सर्वविदित है कि प्रथा को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है।इसे प्रेरक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि निगमनात्मक रूप से, और इसे पूर्व–निर्धारित विधियों द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत और रीति–रिवाज परस्पर विरोधी हैं; रीति–रिवाज केवल सिद्धांत का विषय नहीं हो सकते है, बल्कि वे हमेशा तथ्य पर आधारित होते हैं और एक रीति–रिवाज से दूसरे रीति–रिवाज का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

21. इस मामले में भी, इंदेल गोंड की दो पत्नियाँ थीं, एक रजनी और दूसरी जुगोतिन।रजनी का निधन उनसे पहले हो चुका था।इंदेल गोंड का निधन वर्ष 1981 में हुआ और उसके बाद, वादी, पहली पत्नी के पुत्र, इंदेल गोंड की दूसरी पत्नी जुगोतिन और वादी के चाचा के चचेरे भाई सोमनाथ का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया गया।भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत संपत्ति के बंटवारे के लिए जुगोटिन द्वारा दायर आवेदन को तहसीलदार ने दिनांक 13.06.1988 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया और उनका नाम सह–भागीदार के रूप में दर्ज और पंजीकृत कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपर्युक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राम चरण (उपरोक्त) मामले** में दिए गए निर्णय के आधार पर, मेरा यह मत है कि वादी प्रथा को जरा भी साबित नहीं कर पाई है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता, जो उसकी माता को तहसीलदार द्वारा लगभग 19 वर्ष पूर्व पारित आदेश के अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई थी।

23. उपरोक्त के आधार पर, इस न्यायालय की राय में, विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने वादी के दावे को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि वादी अपने वाद में किए गए दावों को साबित करने में विफल रही है और उसे मांगी गये अनुतोष नहीं मिल पाई है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नवनीथममल बनाम अर्जुन चेट्टी मामले में (ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3521 में प्रकाशित)** यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 100 के तहत विचारण न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णयों में हस्तक्षेप तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसके लिए बाध्यकारी कारण न हों।किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह विचारण न्यायालय के निर्णयों को प्रतिस्थापित करने के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे।यदि यह मान भी लिया जाए कि उसी साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है, तो भी उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी आधार पर नहीं था।

25. **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम शिव दयाल औरअन्य के मामले में, (2019) 8 एससीसी 637 में रिपोर्ट किया गया है,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका संख्या 14, 15 और 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की है: ––

"14. यह सत्य है, जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे "संहिता" कहा गया है) की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय पर "तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष" आमतौर पर बाध्यकारी होता है।हालांकि, विधि का यह नियम कुछ सुप्रसिद्ध अपवादों के अधीन है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

15. यह सर्वविदित नियम है कि तथ्यों पर कोई भी निर्णय देने के लिए, विचारण न्यायालय को पक्षों के कथनों के आलोक में संपूर्ण साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी) का मूल्यांकन करना आवश्यक है।इसी प्रकार, यह भी सर्वविदित नियम है कि अपीलीय न्यायालय को भी पहली अपील की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का नए सिरे से मूल्यांकन करने और विचारण न्यायालय **के निर्णय को बरकरार रखने या उसे पलटने का अधिकार है। यदि अपीलीय न्यायालय निर्णय की पुष्टि करता है, तो इसे "समवर्ती तथ्यात्मक निर्णय" कहा जाता है, जबकि यदि निर्णय को उलट दिया जाता है, तो इसे "परिभाषित निर्णय" कहा जाता है।ये शब्द विधिक शब्दावली में सर्वविदित हैं।**

16. जब किसी समवर्ती तथ्य निष्कर्ष को दूसरी अपील में चुनौती दी जाती है, तो अपीलकर्ता यह बताने का हकदार है कि यह विधि की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे तर्क से बाहर दर्ज किया गया था या यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था या यह महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित था या इसे कानून के किसी प्रावधान के विरुद्ध दर्ज किया गया था और अंत में, यह ऐसा निर्णय है जिस पर न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायाधीश उचित रूप से नहीं पहुंच सकता था।(देखें विद्वान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा की गई टिप्पणी, जब वे उस समय नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, राजेश्वर विश्वनाथ मामिदवार बनाम दशरथ नारायण चिलवेलकर [राजेश्वर विश्वनाथ मामिदवार बनाम दशरथ नारायण चिलवेलकर,1942 एससीसी ऑनलाइन एमपी 26 :एआईआर 1943 नाग 117] कंडिका 43।)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुखबीरी देवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, जो 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी में प्रकाशित हुआ है,1322 में** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिव दयाल और अन्य (उपरोक्त) के मामले में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि बाद की अपील में समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि यह इंगित किया जाता है कि यह तर्क से बाहर, या बिना किसी साक्ष्य के, या महत्वपूर्ण साक्ष्य की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर, या विधि के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया है।

27. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क और विधि का प्रश्न इस अपील में शामिल विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।उस तथ्य पर विवाद करने का प्रयास किया गया है जिस पर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने विचार किया था।

28. उपरोक्त चर्चाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, मुझे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए निर्णय में कोई खामी या अवैधता नहीं मिलती है।

अतः, दोनों विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सर्वसम्मत निर्णय पर विचार करने के बाद, मुझे इस मामले में कोई महत्वपूर्ण विधिगत प्रश्न नहीं मिलता है, अतः यह अपील प्रवेश स्तर पर ही खारिज की जाती है।

29. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

30. दोनों पक्षकारों को अपना–अपना खर्च वहन करना होगा।

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur